संख्या–459 /XVII-2/2009-06(51)/2005

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–02. देहरादून, 15 जुलाई 2009.

विषय : **"विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना" का क्रियान्वयन।**

महोदय,

अवगत ही हैं कि उत्तराखण्ड राज्य की कुल जनसंख्या में शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम विकलांगों की जनसंख्या लगभग 2.3 प्रतिशत है। वस्तुतः ये शारीरिक व मानसिक रूप से भिन्न किस्म की क्षमताओं से युक्त जनसंख्या है, इसलिए इन भिन्न क्षमताओं एवं चुनौतियों से युक्त व्यक्तियों के आर्थिक उन्नयन हेतु पृथक से कार्यक्रम के संचालन करने की आवश्यकता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इन विशिष्ट क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए **"विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना"** संचालित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। योजना की रूपरेखा निम्नवत् है–

कार्यदायी संस्था : उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जो केन्द्र एवं राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है तथा जिसकों शासन द्वारा नियंत्रित होने एवं व्यावसायिक संस्थाओं से वाह्य सहायतित ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने के लाभ प्राप्त हैं, को उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था घोषित किया जाता है।

क्रमशः पृष्ठ–02 पर...

<u>योजना का स्वरूप</u> : विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के निम्नलिखित घटक होंगे–

1. सूचना संकलन, अध्ययन, प्रचार–प्रसार एवं मूल्यांकन।
2. ऋण।
3. दुकान निर्माण।
4. अनुदान।
5. कौशल वृद्धि हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण।
6. लाभार्थी चयन प्रक्रिया।
7. अवस्थापना तथा अन्य सहायक सुविधाएं।

1. <u>सूचना संकलन अध्ययन, प्रचार–प्रसार एवं मूल्यांकन</u> : विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम विकलांगों के सम्बन्ध में सूचना संकलन, अध्ययन व सर्वेक्षण के द्वारा किया जाएगा, जिसमें विकलांगों के लिए रोजगार सम्बन्धी आवश्यकता एवं सम्भावनाओं का अध्ययन मुख्य उद्देश्य होगा। इसके अतिरिक्त लक्षित समूह का अभिमत सर्वेक्षण, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन, बाजार, सर्वेक्षण, आर्थिक क्रियाकलापों एवं व्यवसायों की निर्देशनी भी तैयार की जाएगी। इस प्रकार यह सर्वेक्षण एवं अध्ययन, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों में संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा, एक सतत् प्रक्रिया के रूप में निष्पादित किया जाएगा। यद्यपि योजना के अन्तर्गत सूचना संकलन के लिए इस वर्ष कोई नया प्राविधान नहीं किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार ही सूचनाओं का संकलन किया जाएगा। इसलिए इस मद में योजना के अन्तर्गत आवंटित कुल धनराशि के सापेक्ष तीन प्रतिशत धनराशि निर्धारित की जाती है।

2. <u>ऋण</u> : विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी तथा विकलांगजनों के समूह को प्राथमिकता पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। विकलांगों के ऐसे समूहों को प्राथमिकता पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जो ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रायोजित/प्रोत्साहित हों।

क्रमशः पृष्ठ–03 पर

2(1) <u>पात्रता</u> : विकलांगों को ऋण स्वीकृत करने हेतु निम्न पात्रताएं निर्धारित की जाती हैं–

(क) उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिए।

(ख) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र, जिसमें 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता हो।

(ग) वार्षिक आयसीमा शहरी क्षेत्रों में रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख मात्र) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रूपये 1,60,000 (रूपये एक लाख साठ हजार मात्र) होगी।

(घ) आयुसीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होगी।

2(2) <u>शासीरिक रूप से विकलांगों के अभिभावकों को ऋण</u> : ऐसे अभिभावक जिनके आश्रित पुत्र/पुत्री शारीरिक रूप से विकलांग हों, को इन विकलांगों के भरण–पोषण के लिए सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण प्राप्त करने की औपचारिकताओं में शारीरिक रूप से विकलांग एवं उसके अभिभावकों का ऋण आवेदनपत्र संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। ऐस विकलांगों एवं उनके अभिभावकों के लिए सावधि ऋण की सीमा, ब्याज दर, अनुदान एवं लाभार्थी अंश आदि वही होगा, जो अन्य विकलांगों के लिए दर्शाया गया है।

2(3) <u>ऋण योजनाएं एवं वित्तीय स्रोत</u> : स्वरोजगार हेतु आयजनित क्रियाकलापों एवं विभिन्न योजनाओं में वित्तपोषण के लिए पात्र विकलांगों के लिए निम्न ऋण योजनाएं संचालित की जाएंगी–

(I) <u>बैंक पोषित ऋण हेतु मार्जिनमनी ऋण योजना</u> : इसके अन्तर्गत कृषि, उद्योग, व्यापार एवं सेवा के क्षेत्र में स्वसोजगार हेतु पात्र विकलांगों को रूपये 2,00,000 तक की परियोजनाओं के लिए ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत कराया जाएगा। जिसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत बैंक ऋण, 40 प्रतिशत मार्जिनमनी ऋण एवं 10 प्रतिशत लाभार्थी का स्वयं का अंश सम्मिलित होगा।

क्रमशः पृष्ठ–04 पर

मार्जिनमनी ऋण, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की स्वयं की अंशपूंजी से अथवा शासन द्वारा विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के लिए आवंटित धनराशि से वहन किया जाएगा। मार्जिनमनी ऋण में ब्याज की दर चार प्रतिशत वार्षिक होगी, जो 36 समान किस्तों में देय होगी। सेवा, व्यवसाय एवं लघु उद्योग की वसूली ऋण स्वीकृति तिथि के बाद तीन माह की अवधि के उपरान्त एवं कृषि डेरी ऋणों की वसूली छः माह की अवधि पूर्ण होने के बाद प्रारम्भ की जाएगी। बैंक ऋण पर ब्याज की दरें बैंकों द्वारा समय–समय पर निर्धारित ब्याज दर के अनुरूप होंगी।

(II) <u>सावधि ऋण</u> : 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना में प्राप्त धनराशि से सावधि ऋण (Term Loan) स्वीकृत किया जाएगा। सावधि ऋण के तहत रूपये 75,000 तक की परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। रूपये 50,000 तक लागत वाली परियोजनाओं में अनुदान की सीमा 20 प्रतिशत अथवा रूपये 10,000 (जो भी कम हो) रखी जाएगी तथा रूपये 50,000 से अधिक की परियोजनाओं में अनुदान रूपये 10,000 ही देय होगा। अनुदान Back Ended रूप में दिया जाएगा। सभी मामलों में अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त पांच प्रतिशत लाभार्थी अंशदान होगा तथा शेष धनराशि ऋण के रूप में छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दी जाएगी।

(III) <u>राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम ऋण</u> : शासन द्वारा राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से सस्ती ब्याज दरों पर सावधि ऋण (Term Loan) प्राप्त करने हेतु उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंन्सी घोषित किया गया है तथा राज्य गारण्टी प्रदान की गई है, इसलिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर राज्य के पात्र विकलांगों को सावधि ऋण स्वीकृत किया जाएगा। ऋण हेतु राष्ट्रीय निगम द्वारा निर्धारित पात्रता एवं शर्तें लागू होंगी। राष्ट्रीय निगम की ऋण योजनान्तर्गत

क्रमशः पृष्ठ–05 पर...

परियोजना लागत में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंन्सी के लिए निर्धारित ऋणांश को उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। इस ऋण हेतु ब्याज की दर छः प्रतिशत वार्षिक होगी।

3. <u>दुकान निर्माण</u> : विकलांगजनों को स्वयं का व्यवसाय चलाने शहरी, अर्द्धशहरी अथवा व्यवसायिक स्थलों पर दुकान के निर्माण के लिए ऋण धनराशि उपलब्ध कराना एक उपयोगी योजना है। आर्थिक रूप से विपन्न विकलांगजन शहरी/व्यवसायिक स्थलों पर उपयुक्त स्थान के अभाव में स्वयं का व्यवसाय नहीं चला पाते हैं। ऐसे स्थानों पर या तो उनके पास दुकान निर्माण हेतु भूमि का अभाव रहता है अथवा भूमि होने पर भी वित्तीय कठिनाई अनुभव करते हैं। इसलिए विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत विकलांगजनों के लिए दुकान निर्माण की योजना को सम्मिलित किया जा रहा है। जिसकी शर्तें निम्नलिखित होंगी–

(1) जिन विकलांग व्यक्तियों के पास शहरी अथवा व्यवसायिक स्थलों पर स्वयं अथवा उनके माता–पिता की भूमि उपलब्ध होगी, उन्हें इस योजना से दुकान निर्माण हेतु सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। ऋण की धनराशि प्रति दुकान अधिकतम रूपये 50,000 होगी। जिसमें 20 प्रतिशत अथवा रूपये 10,000 (जो भी कम हो) अनुदान तथा अवशेष धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण के रूप में देय होगी। जिसकी वसूली 60 समान किस्तों में की जाएगी। लाभार्थी द्वारा दुकान निर्माण स्वयं किया जाएगा। इस हेतु लाभार्थी को निगम से तीन बराबर किस्तों में धनावंटन किया जाएगा।

(2) दुकान निर्माण पूर्ण करने के पश्चात उसमें व्यवसाय चलाने के लिए लाभार्थी को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा वित्तपोषित कराया जा सकेगा। जिन विकलांगों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा, उनकी यह सम्पत्ति निगम के नाम दृष्टिबंधित की जाएगी, ताकि लाभार्थी द्वारा ऋण की अदायगी न किये जाने पर सम्बन्धित परिसम्पत्ति को निगम द्वारा अधिग्रहीत किया जा सके।

क्रमशः पृष्ठ–06 पर

4. <u>अनुदान</u> : निगम द्वारा पात्र लाभार्थियों को जो अनुदान राशि दी जाएगी, वह Back Ended होगी, जिसका समायोजन ऋण की अन्तिम किस्तों के सापेक्ष किया जाएगा।

5. <u>कौशल वृद्धि हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण</u> : ऋण धनराशि के सदुपयोग, योजना की सफलता तथा समुचित लाभ प्राप्त करने तथा लाभार्थी की आय में वृद्धि हेतु लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण की भूमिका निःसन्देह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होंगे–

(1) <u>लघु अवधि प्रशिक्षण</u> : लघु अवधि प्रशिक्षण के अन्तर्गत योजना के सम्बन्ध में जागरूकता सृजन, प्रोत्साहनवर्द्धन, अभिमुखीकरण के अतिरिक्त स्वरोजगार हेतु चयनित लाभार्थियों को संक्षिप्त उद्यमिता विकास प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण सम्मिलित होंगे। इन प्रशिक्षणों की अवधि अधिकतम छः माह होगी।

(2) <u>दीर्घ अवधि अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण</u> : दीर्घ अवधि अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि छः माह से अधिक किन्तु अधिकतम एक वर्ष होगी। जिसके अन्तर्गत कौशल वृद्धि तथा क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। व्यवसायिक प्रशिक्षण सरकारी अथवा प्रतिष्ठित गैर–सरकारी मान्यता प्राप्त / पंजीकृत व्यवसायिक संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा। प्रशिक्षण निःशुल्क होगा।

प्रशिक्षण हेतु गैर–सरकारी संस्थानों का चयन नियमानुसार किया जाएगा। कौशलवृद्धि प्रशिक्षण शिक्षित एवं बेरोजगार विकलांगों, जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के मध्य होगी, को दिया जाएगा। चूंकि प्रशिक्षण शत–प्रतिशत निःशुल्क होगा, इसलिए प्रशिक्षार्थी को पृथक से कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। जहां पर राज्य स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण योजना का संचालन किया जाएगा, वहां पर संस्था को अधिकतम रूपये 1,000 (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से बोर्डिंग / लॉजिंग के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। राजकीय संस्थाओं को उन्हीं की तय दरों पर भुगतान किया जाएगा।

क्रमशः पृष्ठ–07 पर...

6. **लाभार्थी चयन** : निगम द्वारा विकलांगजनों हेतु संचालित उक्त सभी स्वरोजगार कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु जनपद स्तर पर चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है–

(1)	जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी	–	अध्यक्ष
(2)	लीड बैंक अधिकारी	–	सदस्य
(3)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	–	सदस्य
(4)	सफल स्वरोजगारी, जो स्वयं विकलांग हो	–	सदस्य
(5)	जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रबन्धक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	–	सदस्य सचिव

चयन समिति द्वारा मार्जिनमनी ऋण के लिए चयनित पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदनपत्र बैंकों को ऋण स्वीकृति हेतु प्रायोजित किये जाएंगे। बैंकों से ऋण स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम मार्जिनमनी ऋण/अनुदान की मांग निगम मुख्यालय से करेंगे। राष्ट्रीय निगम की योजना के लिए चयनित लाभार्थियों की सूची, ऋण स्वीकृतिपत्र तथा विकलांगता प्रमाणपत्र की फोटोप्रति निगम मुख्यालय को प्रेषित किए जाएंगे, जिसके आधार पर राष्ट्रीय निगम से आवश्यकतानुसार ऋण धनराशि की मांग की जाएगी।

7. **अवस्थापना एवं सहायक सुविधाएं** : किसी भी योजना की सफलता हेतु सुदृढ़ सुविधाओं का विकास एक आवश्यक शर्त है। अवस्थापनाओं में मुख्यतः संचालन सुविधाएं, कच्चे माल एवं बाजार की सुविधा, सामुदायिक विपणन स्थलों का विकास तथा उत्पादकता वृद्धि सम्मिलित है, इसलिए विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अवस्थापना विकास हेतु एकमुश्त धनराशि उपलब्ध कराने का प्राविधान भी किया जाएगा। यह ध्यान रखा जाएगा कि अवस्थापना हेतु सहायता, मात्र Critical Gap के रूप में ही दी जाए तथा जो सुविधाएं दूसरे विभागों से देय हैं उनका दोहराव (Duplicate) न किया जाए। इसमें लाभार्थी का भी 50 प्रतिशत तक Matching Share होना चाहिए।

क्रमशः पृष्ठ–08 पर

सहायक सुविधाओं के अन्तर्गत स्वरोजगारियों को परामर्श एवं भ्रमण कराया जाएगा। जिससे उन्हें अन्य क्षेत्रों और राज्यों में इस क्षेत्र में हुए विकास की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी, मेलों एवं गोष्ठियों में विकलांग स्वरोजगारियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सामग्रियों के विपणन आदि के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तकनीकी सहयोग एवं नए डिजाइनों के विकास की जानकारी भी दी जाएगी। विपणन सुविधाओं के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति Matching Share के रूप में 50 प्रतिशत तक **अथवा** अधिकतम रूपये 10,000 प्रति लाभार्थी (प्रतिवर्ष) की दर से की जाएगी। यह धनराशि राज्य के अन्तर्गत आयोजित प्रदर्शनी, मेलों एवं गोष्ठियों हेतु अधिकतम रूपयें 5,000 तथा राज्य से बाहर आयोजित होने वाली गोष्ठियों हेतु अधिकतम रूपये 10,000 तक होगी। योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि में से आवश्यकतानुसार अधिकतम 15 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि इस मद में व्यय की जाएगी।

उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार "विकलांग व्यक्तियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना" का जनपद स्तर पर कार्यान्वित कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

क्रमशः पृष्ठ–09 पर–

पृष्ठांकन संख्या–459(1)/XVII-2/2009-06(51)/2005, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय समाज कल्याण मंत्री / राज्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव (सम्बन्धित विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, देहरादून।
8. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी / पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला प्रबन्धक, अग्रणी बैंक, उत्तराखण्ड।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव।